भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1131
22.11.2019 को उत्तर के लिए

सिंगल यूज प्लास्टिक

1131. श्री श्रीधर कोटागिरि :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर पूर्ण प्रतिबंध कार्यान्वित नहीं करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश से सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए क्या समय-सीमा है;
(ग) क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्लास्टिक आवरण वाले सिगरेट पैकेटों को प्रतिबंधित वस्तुओं के दायरे के अंतर्गत नहीं लाया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ड.) मंत्रालय ने ''एकल उपयोग प्लास्टिक के संबंध में मानक दिशानिर्देश'' भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित कार्यालयों और राज्यों में व्यापक कार्यान्वयन के लिए जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में सुझाव देते हैं। सरकार का लक्ष्य पहले आम जनता और हितधारकों को प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बाद में विनियामक प्रावधान का पालन करना है।

सिंगल –यूज प्लास्टिक के प्रबंधन से संबंद्ध उच्च पर्यावरणीय लागतों, विशेष रूप से समुद्रवर्ती पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाली निश्चित प्रतिक्रियात्मक अनुपूरक कार्रवाइयों के लिए आवश्यकता पर विचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए भारत की प्रतिज्ञा की घोषणा की है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से एक तीन-चरण का अभियान, ''स्वच्छता ही सेवा'' (एसएचएस) शुरू किया गया था, जो दिवाली, अर्थात् 27 अक्तूबर 2019 को समाप्त हुआ यह अभियान अन्य बातों के साथ-साथ, जागरूकता, समर्थन, बिखरे हुए प्लास्टिक के एकत्रण और सुरक्षित निपटान पर केन्द्रित था।

इस अभियान के तहत, सभी हितधारकों, अर्थात् आम जनता, छात्रों, उद्योग, सरकारों और स्थानीय निकाय एकजूट हुए और उन्होंने घरों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, समुद्र तटों, मार्केटों, धार्मिक और पर्यटन स्थानों आदि से अपशिष्ट प्लास्टिक को एकत्रित किया। शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संगठनों और अन्यों ने एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनचर्क्रण हेतु नामोद्दिष्ट अवस्थानों पर निपटान हेतु व्यवस्थाएं की है। स्टार्ट-अप्स तकनीकी निकाय और निगम एकत्रित अपशिष्ट को पुनर्चर्क्रित करने की अपनी योजनाओं के साथ आगे अए हैं। इस अभियान का अंतिम लक्ष्य यह था कि प्लास्टिक अपशिष्ट का भूमि पर अथवा पानी में निपटान न किया जाए किंतु इसको पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति

से पुनर्चक्रित किया जाए। इस अभियान ने प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे के संबंध में जागरूकता सृजित करने का अपना लघु-अवधि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 13,829 टन का प्लास्टिक अपशिष्ट इकट्ठा किया गया और उसे पर्यावरणीय अनुकूल पुनर्चक्रण/निपटान के लिए भेज दिया गया था और देशभर में लगभग 1.23 लाख जागरूकता/श्रमदान कार्यकलाप किए गए। स्थानीय निकायों और राज्यों ने ऐसे अपशिष्ट के संग्रह और सुरक्षित निपटान के लिए चलाए अभियान के परिणामस्वरूप प्रणालियां स्थापित की हैं।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 50 माइक्रोन से कम या उससे कम मोटाई वाली प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक बैग के उपयोग के लिए निषेध है। तथापि, प्लास्टिक पदार्थ से बने पाउच का गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के संग्रहण, पैकिंग या बेचने के लिए निषिद्ध किए गए हैं।

*****